इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 16 जून 2015—ज्येष्ठ 26, शक 1937

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2015

क्र. एफ. 10-6-2012-सत्रह-मेडि-2.—यत:, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.15 के उप विनियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनहित में खाद्य तेल को, उक्त उप विनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10-6-2012-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 6 फरवरी 2013 द्वारा 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गई छूट को इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 10-6-2012-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 27 जनवरी 2014 द्वारा दिनांक 6 फरवरी 2014, से 1 वर्ष की अवधि हेतु वृद्धित किया गया था.

और, यत:, इस राज्य के गरीब लोग अभी भी दैनिक आधार पर मजदूरी में से खुला खाद्य तेल खरीद रहें है. सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से मजदूर वर्ग डिब्बा बंद तेल नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए खुला तेल के विक्रय पर प्रतिबंध से उनका जीवन-यापन कठिन हो जायेगा.

अतएव, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.15 के उप विनियमं (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जनहित में उक्त विनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों से, खाद्य तेल की छूट की कालावधि में, दिनांक 6 फरवरी 2015 से दिनांक 5 फरवरी 2016 तक वृद्धि करता है.

No. F. 10-6-2012-XVII-Medi-2.—Whereas in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-regulation 2.3.15 of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011, the State Government in the public interest exempted the edible oil from the provisions of clause (b) of

sub-regulation (1) of the said regulation for a period of one year vide this department's notification No. F. 10-6-2012-XVII-Medi-2, dated 6th February, 2013. The said period was extended vide this department's notification No. F. 10-6-2012-XVII-Medi-2, dated 27th January, 2014 for a period of one year from 6th February, 2014.

AND, WHEREAS, Poor people of this State still purchase loose edible oil out of the payment of wages on daily basis. Common man especially those who belong to labour class can not purchase packed oil, therefore, prohibition on sale of loose oil shall make their life troublesome.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2.3.15 of the Food Sefety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations 2011, the State Government hereby, in the public interest, extends the period of exemption of the edible oil from the provisions of clause (b) of sub-regulation (1) of the said regulation for a period from 6th February, 2015 to 5th February, 2016.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सूरज डामोर, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.